

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
187/2024

दायर दिनांक
13.05.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
27.05.2024

1. अर्जुनसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. शक्तिसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
2. चान्दी पत्नि डालचन्द कोली उम्म वयस्क निवासी दादाबाडी तहसील व जिला भीलवाडा
3. ज्वालासिंह पुत्र भवरसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
4. मिठुकंवर पत्नि शंकरसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
5. भगवानसिंह पुत्र सुलेसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
6. नारायणकंवर पत्नि मोहनसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
7. तेजसिंह पुत्र नाथुसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
8. कैलाश कंवर पत्नि शंभुसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
9. धापु पत्नि नारायण माली उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
10. नर्बदा पत्नि गोकल माली उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
11. पप्पुसिंह पुत्र शंभुसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
12. उर्मिला कंवर पत्नि मोहब्बतसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
13. रावतसिंह पुत्र जसवंतसिंह राजपूत उम्म वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

14. दयालसिंह पुत्र मिठुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गेन्दलिया तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
15. शिवराजसिंह पुत्र मिठुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गेन्दलिया तह0 कोटडी नवीन तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
16. महावीरसिंह पुत्र मिठुसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गेन्दलिया तह0 कोटडी नवीन तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
17. भूधारक तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी अनिल कुमार ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गेन्दलिया प0ह0 गेन्दलिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 763/1 कुल किता 01 कुल रकबा 3.4245 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

Anand

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा गेन्दलिया प0ह0 गेन्दलिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 763/1 कुल किता 01 कुल रकबा 3.4245 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा